न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : दिवांशु शर्मा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 156/2020 प्रार्थनापत्र

अनवान

1. डालीदेवी पत्नि जगदीशचन्द्र खटीक नि0 अजमेरी गेट , बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. जगदीशचन्द्र पिता सोहनलाल खटीक नि0 अजमेरी गेट , बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

——————प्रार्थी गण

बनाम

1. प्रेमदेवी पत्नि ओमप्रकाश जीनगर निवासी – बी–100 , बापुनगर , भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज0)
2. भारतीय स्टेट बैक शाखा बनेडा जरिये मेनेजर भारतीय स्टेट बैक शाखा बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

——————अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –
1. श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. पैरोकार सरकार विपक्षी संख्या 3

निर्णय

दिनांक 23–10–20

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(ए) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन दिनांक 23.9.2020 को प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। न्यायालय द्वारा जारी सम्मनो के संदर्भ में अन्य विपक्षिगणो द्वारा कोई प्रतिरोध पैश नही किया गया ।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा बामणिया पटवार मण्डल बामणिया तहसील बनेडा स्थित खाता संख्या 128 का आराजी नम्बर 1351 , 1352 , 1353 कुल खसरा 03 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एंव प्रार्थी के स्वंय के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से अडौसी–पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है। पुर्व में विपक्षिगणो की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है। परन्तु अब अप्रार्थीगणो द्वारा रूकावट किये जाने से विपक्षिगणो की आराजी सं0 2062/1378 के मेर के सहारे–सहारे 30 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2020 को मामले में तहसीलदार बनेडा को पत्र लिखा जाकर निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एंव मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.

विपक्षी संख्या 01 की और से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार पारीक द्वारा वकालात नामा प्रस्तुत किया व जवाब लिए अवसर दिया गया चुकि संभागीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार रास्ते संबधि हर शुक्रवार केम्प आयोजित किये जा रहे है इसलिये विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता को अवगत कराया कि दिनांक 16–10–2020 को केम्प मे उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करे । बावजुद सुचना के भी विपक्षी एंव अधिवक्ता अनुउपस्थित जिनके एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है । प्रकरण में मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की मौजा बामणिया के आराजी न0 2062/1378 मे से 0–01–04 बीघा भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थी को इसे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबधि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार प्रार्थी को निम्न रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पैश हुए है जो निम्न है –

1. प्रार्थीगण ग्राम बामणिया की उक्त निजी खातेदारी भूमि से होकर अपने खेत पर पहुचंते है जिसकी लम्बाई 12 गटठे यानि 99 फीट है इसके अलावा न्यूनतम दूरी का अन्य कोई रास्ता नही है ।
2. प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता विपक्षी की ग्राम बामणिया की खातेदारी आराजी नं0 2062/1378 मे से नया रास्ता देने के लिए 0–01–04 बीघा भूमि रास्ते हेतू चाही गई है ।
3. ग्राम बामणिया की आराजी नं0 2062/1378 मे से 0–01–04 बीघा भूमि रास्ते हेतू चाही गई है जो प्रेमदेवी पत्नि ओमप्रकाश जीनगर नि0 बापूनगर , भीलवाडा के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड है जिसकी जमाबन्दी नकल संलग्न है ।
4. प्रार्थी को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तथा प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम एंव उपयुक्त है ।
5. प्रकरण मे प्रस्तावित भूमि की प्रचलित डीएलसी दर 361737/– प्रति बीघा से 0–01–04 बीघा भूमि की मालियत 21075/– रूपये बनती है ।

मेने पत्रावली का उद्योपांन्त अध्ययन एंव अवलोकन किया है। प्रार्थी द्वारा 30 फिट का रास्ता चाहा गया था। परन्तु अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु हल्का पटवारी द्वारा मौजा बामणिया की आराजी नं0 2062/1378 मे से 0–01–04 बीघा भूमि रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। एंव मौजा बामणिया की आराजी नं0 2062/1378 मे से 0–01–04 बीघा भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाने योग्य है। मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित उक्त 0–01–04 बीघा का जिसे नक्षा ट्रेस में प्रर्दश किये जाने योग्य है। उसकी एक प्रति तथा नजरी नक्षा की एक प्रति तहसीलदार बनेडा को भिजवायी जाकर मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार के प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया जाने योग्य है ।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम बामणिया खाता संख्या 128 का आराजी नम्बर 1351 , 1352 , 1353 कुल खसरा 03 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा मे पहुंचने हेतू ग्राम बामणिया की आराजी नं0 2062/1378 मे से 0–01–04 बीघा मुताबिक रास्ता कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेडा द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में तहसीलदार बनेडा के यहा प्रचलित डी0एल0सी0 की दरों की दुगुनी राशि (0–01–04 बीघा की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2020 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा